

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2025/ 908

दिनांक 10/06/25

प्रार्थी-

1. भंवरा पुत्र धुड़ा, जाति जाट  
निवासी लीलसर  
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-

1. अनाराम 2. दमाराम 3. धारमाराम पि. मगाराम 4. रूखमों पत्नि  
मगाराम 5. धापू पत्नि चौखाराम 6. रामाराम 7. प्रभूराम पि.  
चौखाराम 8. चूनाराम पुत्र धूड़ा 9. रूपाराम पुत्र सुरताराम  
10. लूणाराम पुत्र धुड़ाराम, जाति जाट, निवासी लीलसर,  
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज. भू. राजस्व अधिनियम  
वास्ते करने नेखमबंदी बाबत ।

राजस्व आवेदन सं. 05/2025

दिनांक : 10.06.2025

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र लीलसर के मौजा लीलसर के खेत खसरा सं. 395/253, 398/257, 401/275 रकबा क्रमशः 00,3642, 01.4164, 00.6286 हैक्टेयर, भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई विन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमि की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करें। आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है। नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हो। प्रार्थी कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे।



क्रमांक/भू.अ./2025/ 909 to 912

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थी भंवरा
3. विप्रार्थीगण अनाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना/धनाऊ/सेडवा

उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन  
दिनांक 10/06/25

(कुसुमलता चौहान)  
उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन  
उपखण्ड अधिकारी  
चौहटन

Handwritten signature or mark at the bottom of the page.